



प्रेस नोटथाना मंडी धनौरादिनांक 28.06.2021

ग्राम शेरपुर में हुई लूट की घटना में वांछित 15-15 हजार रुपयें इनामी भिखारी का भेष बनाकर रेकी करने वाले गिरोह के 02 शातिर लूटेरे अवैध असलहे व लूट के माल सहित गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमती पूनम पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्री सतेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा ग्राम शेरपुर में हुई लूट की घटना में वांछित **15-15 हजार रुपयें इनामी** 02 शातिर लूटेरों को अवैध असलहे व लूट की रकम से खरीदे गई हाथ घड़ियों सहित गिरफ्तार किया गया ।

आज प्रात : थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा दौराने गस्त तलाश वांछित अपराधी सूचना मिली कि दो व्यक्ति जिसमें एक फकीरो वाले भेष में हैं, जो भीख मांगने के बहाने रेकी कर किसी बड़ी लूटपाट की वारदात को अँजाम देने की फिराक में हैं और इस समय चांदपुर बिजनौर रोड से शहजादपुर को जाने वाले रास्ते पर ग्राम शहजादपुर की तरफ जा रहे हैं, इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दबिश देकर समय करीब 07.30 बजे पीतम स्कूल मेन गेट के पास से 02 अभियुक्त 1. सत्तार पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम लालूवाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद व 2. रहजीन पुत्र जमील निवासी ग्राम सिरसवां दौराहा थाना भोजपुर ज नपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 नाजायज चाकू व 02 हाथ की घड़िया बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मंडी धनौरा पर मु0अ0सं0 244/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 बनाम सत्तार व मु0अ0सं0 245/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 बनाम रहजीन उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.01.2021 को वादी श्री मनोज कुमार के घर में घुसकर तमंचों के बल पर लूट करने की घटना का खुलासा करते हुये थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा दिनांक 26/27.06.2021 की रात्रि इसी गैंग के 02 शातिर लूटेरों तहजीब व अण्टी उर्फ सुहैल को अवैध असलहों व लूट के माल सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।



पूछताछ विवरण:-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम छयमार जाति के लोग हैं हम दोनों व हमारे साथी तहजीब पुत्र जमील निवासी सिरसवां दौराहा थाना भोजपुर मुरादाबाद तथा अण्टी उर्फ सुहैल पुत्र सत्तार निवासी लालूवाला थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद नें अब से करीब साढे पांच माह पहले ग्राम शेरपुर में एक घर में हथियारों के बल पर परिवार वालों को डरा धमका कर नकदी तथा जेबर लूट लिए थे तथा सत्तार नें बताया कि घटना करने से पहले मेरे बेटे अण्टी उर्फ सुहैल व मैंने पहले घूम फिरकर भिखारी के भेष में रेकी की थी और बारदात करने के लिए घर चिन्हित करके लूट की घटना की थी । तहजीब, रहजीन तथा अण्टी उर्फ सुहैल उपरोक्त नें घर में जाकर

लूटपाट को अंजाम दिया था जबकि मैंने (सत्तार) ने अपने बेटे अण्टी के साथ इसी तरह फकीर के भेष में भीख मांगने के बहाने घटना को अंजाम देने के लिए जिस घर में लूट की घटना की थी उसे चिन्हित किया था । हम चारों के हिस्से में लूट की घटना से प्राप्त जो नगदी व जेवर आये थे, उन्हें हम चारों ने आपस में बांट लिया था तथा अपने-अपने हिस्से में आये जेवर को हमने मुरादाबाद में चारों ने अलग अलग चलते फिरते आदमियों को सस्ते में बेच दिया था जिनके बारे में जानकारी नहीं है कि वो कौन थे । जो नगद रुपये मिले थे और जो जेवर बेचने से रुपये मिले थे उनमें से अधिकांश खाने खर्च में खर्च हो गये तथा उन रुपयों में से ही हमने घड़ियां खरीदी थीं जो घड़ियां हम दोनों से मिली है ये वे ही घड़ी हैं जो इस लूट की घटना से मिले रुपये से खरीदी गई है जिनको कि हमने भीख मांगते समय खोलकर अपनी-अपनी जेबों में रख लिया था जिससे कि लोगों को शक न हो । हम आज भी इसी तरह घूम फिरकर फकीर का भेष बनाकर भीख मांगने के बहाने बारदात के लिए घर चिन्हित करने के लिए निकले हुए थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त सत्तार कुख्यात किस्म का अपराधी है जिसने अपने बेटे अण्टी उर्फ सुहैल व गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2015 में मौ० सुरेश शर्मा नगर जनपद बरेली में डकैती के दौरान पति पत्नी की हत्या कर दी थी । शातिर किस्म के छयमार घुमंतू जाति के अपराधी है जोकि घटना को अंजाम देने से पहले भिखारी का भेष बनाकर आस-पास के क्षेत्र की रेकी करते हैं तथा ठिकाने बदल-बदल कर अपराध करते हैं और अपना नाम भी बदलते रहते हैं । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त दोनों अभियुक्त सत्तार व रहजीन की गिरफ्तार हेतु **15-15 हजार रुपयों का इनाम घोषित किया गया था ।**

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सत्तार पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम लालूवाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद ।
2. रहजीन पुत्र जमील निवासी ग्राम सिरसवां दौराहा थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद ।

बरामदगी:-

1. 02 नाजायज चाकू ।
2. 02 हाथ की घड़िया (लूट के पैसों से खरीदे गये) ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सत्तार:-

1. मु०अ०सं० 17/2021 धारा 392,411 भादवि थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
2. मु०अ०सं० 244/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधि० थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
3. मु०अ०सं० 274/2015 धारा 396,412,201,120बी भादवि थाना बारादरी जनपद बरेली ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रहजीन:-

1. मु०अ०सं० 17/2021 धारा 392,411 भादवि थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
2. मु०अ०सं० 245/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधि० थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जयवीर सिंह थाना मंडी धनौरा अमरोहा ।
2. वरि०उ०नि० श्री शौकेन्द्र सिंह थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
3. उ०नि० श्री सुनील मलिक थाना मंडी धनौरा अमरोहा ।
4. उ०नि० विपिन कुमार थाना मंडी धनौरा अमरोहा ।
5. का०301 ललित चौधरी थाना मंडी धनौरा अमरोहा ।
6. का० 1207 मोंटी वर्मा थाना मंडी धनौरा अमरोहा ।